इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 107/वि0का0अ0(त0स0–2)/जोन–2/ग्रु0हा0/2014–15 दिनांक 07/10/2015

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **अफोर्डेबुल समूह आवास मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) के जोन संख्या **(2)** के अर्न्तगत **अफोर्डेबुल समूह आवास** भवन के निर्माण की अनुमति हेतु स्वीकृत मानचित्र का निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 03–10–2015 के कम में निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 20 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक/रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन किचेन, बाथरूम मे अनिवार्य रूप से किया जाय।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी। आन्तरिक विकास के लागत में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसे निर्माण/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
8. भवन की संरचना एवं गुणवत्ता का दायित्व आवेदक का होगा। बहुमंजिले भवन का निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानको के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जाय।
9. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
10. **नगर आयुक्त, नगर निगम** की अनापत्ति पत्रांक 703/STCE/2015 दिनांक 05.06.2015, **मुख्य अग्नि शमन अधिकारी** की अनापत्ति पत्रांक 2015/9726/99/CFO दिनांक 16.05.2015 एवं **मुख्य अभियन्ता–विद्युत इलाहाबाद** की अनापत्ति पत्रांक 3018/मु0अ0(वि0)/इ0क्षे0/पी2 दिनांक 08.07.2015 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

–2/–

11. शपथ पत्र दिनांक 19.09.2015 (72AC 757125) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना बाध्यकारी होगा।
12. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर में ही रखना होगा। इस हेतु दिये गये शपथ पत्र (72AC 757126) दिनांक 19.09.2015 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
13. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति 45 आवासीय इकाई तथा अनुमन्य की जा रही है। अतिरिक्त इकाईयो का निर्माण/विभाजन पूर्णतया निषिद्ध होगा।
14. समूह आवास परिसर में ट्रान्सफार्मर एवं वेस्ट मैटेरियल (कूड़ा करकट एकत्रीकरण) हेतु स्थान अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखा जाय।
15. राष्ट्रहित में विद्युत संकट के दृष्टिगत परिसर में स्ट्रीट लाईट सोलर पैनल द्वारा ऊर्जीकृत की जाय।
16. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत व्ययानुमान मे कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
17. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नही करती है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
18. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
19. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
20. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
21. बहुमंजिले भवन निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
22. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
23. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को बहुमंजिले भवन की नींव से छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
24. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

<u>संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।</u>

07/10/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी

☎ 0532-2616619
0532-2617222

K. L. SONS PRIVATE LIMITED

Regd. Off. : 1, Lukerganj, Allahabad

Ref.......................... Date 17-9-2015

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

विषयः प्लाट नं0 7/7 लूकरगंज इलाहाबाद पर दाखिल समूह आवास मानचित्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 10.09.2015 का संदर्भ लेने की कृपा करें। जिसमें दिये गये निर्देशानुसार प्रार्थी आन्तरिक विकास शुल्क की धनराशि रूपया 8,58,359.00 की बैंक गारण्टी सचिव इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की पक्ष में 5 वर्षो को प्लेज्ड कर रहा है एवं रेन वाटर हर्वेस्टिंग के प्रतिभूति के रूप में रू0 2,80,100.00 का एफ0डी0आर0 इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा है जो सचिव इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में 5 वर्ष हेतु प्लेज्ड है।

प्रार्थी द्वारा आपके समस्त तथ्यों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी का दाखिल समूह आवास मानचित्र निर्गत करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

संलग्नकः

1. फेडरल बैंक की बैंक गारण्टी।
2. एफ0डी0आर0 (रेन वाटर हर्वेस्टिंग)

For K. L. Sons (P) Ltd.

भवदीय Director

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 798885

From
Federal Bank
23, MG Marg,
Civil Lines, Allahabad

Bank Guarantee No.	IBG63016
Date	17-09-2015
Valid up to	17-09-2020
Amount	8,58,359/-

To
The Secretary
Allahabad Development Authority
8th Floor, Indira Bhawan
Civil Lines
Allahabad 211001

We, **The Federal Bank Ltd.**, a company registered under the companies Act,1956 having its registered office at Alwaye, Kerala and having a branch office among other places at 23 **M.G. Marg, Civil Lines, Allahabad**, (hereinafter called the Bank which expression shall when the context admits, include its successors, assigns and attorneys.)

Under an arrangement between the **Allahabad Development Authority**, Allahabad (hereinafter called the "Beneficiary") and our client **M/s. K L Sons P Ltd, 1, Lukerganj Allahabad** through its **director Mr. Sandeep Kanodia**, you have required a Bank Guarantee for **Rs. 8, 58,359/- (Rupees Eight Lacs Fifty Eight Thousands Three Hundred Fifty Nine only).**

As per aforesaid letter the Bank agrees and undertake to Guarantee to the Secretary, Allahabad Development Authority, Allahabad as follows:

Contd/-2

FOR THE FEDERAL BANK LTD.
SHUCHI GUPTA
MANAGER BR. ALLAHABAD

For The Federal Bank Ltd.
Mukesh Khandelwal
Chief Manager

1. At the request of the said **M/s. K L Sons P Ltd, 1, Lukerganj Allahabad through its director Mr. Sandeep Kanodia,** we hereby un-conditionally and irrevocably guarantee and undertake to pay you without any demure merely on demand standing that the amount of claim is due by reason of breach of our client for making arrangement of internal Development in the proposed building at **Plot No. 7/7, Lukerganj, Allahabad area 2825.91 sq mtr.** Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by Bank and not withstanding any suit or other proceeding that may have been instituted by either party a sum of **Rs. 8, 58,359/- (Rupees Eight Lacs Fifty Eight Thousands Three Hundred Fifty Nine only** we irrevocably agree that a certificate issued by the Secretary, Allahabad Development Authority Allahabad, that the said sum or any part thereof is payable to you shall be accepted by us as conclusive evidence of such amount having become payable and that immediately such a certificate is furnished by you, payment made to you by us.
2. IN ORDER to give effect to this guarantee this Bank expressly declares that you shall be at liberty to act as though the Bank were the Principal debtor and the Bank hereby waives all and any of its rights as surety, which may at any time be inconsistent with any of the above provisions.
3. We further undertake and agree not to revoke this guarantee during its currency except with your previous consent in writing and the agreement shall remain in full force for a period of **sixty months** until **17-09-2020** and its subsequent under this guarantee before **17-09-2020** all your rights this guarantee shall be forfeited and we shall be deemed to have released and discharged for our liabilities hereunder irrespective of whether or not the original guarantee is returned to us.
4. NOT WITH STANDING anything herein contained our liability under this guarantee shall:-
   a). Be limited to a sum of **Rs. 8, 58,359/- (Rupees Eight Lacs Fifty Eight Thousands Three Hundred Fifty Nine only**
   b). Stand completely discharged and all your rights under the guarantee shall extinguished if no claim or demand is made upon us in writing and received by us on or before **17-09-2020**

Notwithstanding anything contained here- in above:

1) Our liability under this guarantee shall not exceed **Rs. 8, 58,359/- (Rupees Eight Lacs Fifty Eight Thousands Three Hundred Fifty Nine only**
2) This bank Guarantee shall be valid up-to and including **17-09-2020** and we are liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if you serve upon a written claim or demand on or before **17-09-2020.**
3). "All claims under the guarantee will be payable at Allahabad"
4). This Guarantee shall be returned to us as soon as the purpose for which it is issued is fulfilled.' Our liability under this guarantee shall be discharged on expiry date irrespective of the fact that the original guarantee bond is returned to us or not.

Bank Guarantee No.	**IBG63016**
Valid up to	**17-09-2020**
Amount	**8,58,359/-**

Place – Allahabad

Date:-17-09-2015

FOR THE FEDERAL BANK LTD
SHUCHI GUPTA
MANAGER BR. ALLAHABAD

For The Federal Bank Ltd.
Mukesh Khandelwal
Chief Manager

Date: [illegible]

CASH CERTIFICATE

AUTO RENEWAL ACTIVATED

RECEIVED WITH THANKS FROM [illegible]

RUPEES [illegible] Eight Lakh Fifty Eight Thousand Three Hundred Fifty Nine only

CASH CERTIFICATE

Operation Mode: SINGLE

AS A

Effective Date	Rate%	Period: Days	Period: Month/s	Period: Year/s	Repayable on	Deposit Amount	Maturity Value
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]3,476.00

Annualised Yield: [illegible]

Pre-closure charges applicable for deposits exceeding Rs.15 Lacs

For The Federal Bank Ltd.

Not Transferable | Clerk | Asst. Manager | Chief/Senior Manager/Manager

Date 17-09-15 BG issued with IBG No. IBG63016 for Rs. 858359/-

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AC 757125

NOTARIAL NOTARIAL

<u>शपथ पत्र</u>

समक्ष,

सचिव,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

शपथ पत्र मिनजानिब संजीव कनौडिया एवं संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स निवासीगण–1 लूकरगंज इलाहाबाद बहलफ निम्न बयान करते हूँ :–

1. यह कि शपथकर्तागण द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया।
2. स्थल पर सोलर वाटर हीटींग सयंत्र की स्थापना की जायेगी।
3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जायेगा।
4. स्थल पर 20 अदद वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व विकासकर्ता का होगा।
5. यह कि बहुमंजिले भवन का निर्माण भूकम्परोधी मानको के अनुरूप ही कराया जायेगा।

–2

क्रमांक ——— तिथि ——— मूल्य ——— प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम

पता

विक्रेता शिव प्रकाश गुप्ता ला० नं० 541

अवधि 31 मार्च 2016 तक

विक्रय स्थल इ०वि०प्रा० कार्यालय इला०

हस्ताक्षर

6. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कराकर एवं आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराते हुए इ०वि०प्रा० से पूर्णता प्रमाण–पत्र भी प्राप्त होने के उपरान्त ही आवंटियो को फ्लैटो का कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
7. यह कि आन्तरिक विकास किये जाने में यदि कोई बढ़ोत्तरी होती है तो वह कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी।
8. निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री/उत्सर्जित होने वाला मलवा अपने परिसर में ही रखा जायेगा।
9. जल–मल के निस्तारण का दायित्व कम्पनी का होगा।
10. प्राधिकरण द्वारा आरोपित किये वाले समस्त नियम एवं शर्तो के अनुपालन किया जायेगा।
11. यह कि प्रस्तावित स्थल पर शपथकर्तागण का निर्विवाद स्वामित्व है एवं भौतिक कब्जा है। स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर शपथकर्तागण स्वतः जिम्मेदार होगें।

उपरोक्त लगायत 1 से 11 तक कही गयी बाते शपथकर्तागण की निजी जानकारी में सत्य एवं सही इसमें न तो कुछ झूठ है न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक : 19/09/2015

शपथकर्तागण

R. B. SINGH Advocate Notary

SOLEMNLY AFFIRMED before me on ...... at A.M./P.M. by Sri/Smt ...... identified by Mr. ...... Advocate to be his/her affidavit as true and Correct which is here by ......

04/9/15

R.B. Singh
Advocate Notary
Allahabad

To,

Joint Secretary / Administrative Officer Building
Allahabad Development Authority
Allahabad

Sub: - Provision as per U.P. Apartment act. 2011.

Belonging to:MR .SANDEEP KANODIYA DIRECTOR OF K.L. SONS PVT. LTD.

Property:- PROPOSED GROUP HOUSING BUILDING ON PLOT NO. 7/7
LUKERGANJ POONAM APARTMENT PHASE - II, ALLAHABAD

Above said group housing scheme is sanctioned by Allahabad Development Authority, Allahabad & permit No.____________of sanctioned map is ....

Details are as under:-

1. **Description of Land**: - Land on which Building is to be constructed is free hold.
   a) **Description of Building** :-
      1) **Nos. of Blocks / Stories** : - Two Block /Five story
      2) **No. of Floors** :- Stilt + 5; **Basement** :- No Basement is Provided
      3) **Nos. of Apartments (Flats)**: 45 Nos.
      4) **Principal materials** : R.C.C. Frame Structure with Brick Pillar Walls

      All Construction & Materials as per according Code of Practice for Plain & Reinforced concretes I.S.456-2000 7 N.B.C. 2005.

For K. L. Sons (P) Ltd.

Director

Description of Block - A

Type	No.	Area	Floor	Location	No. of Rooms
A1	1	109.51 m^2	First Floor	South West	3 B.H.K.
"	"	"	Second floor		
"	"	"	Third Floor		
"	"	"	Fourth Floor		
"	"	"	Fifth Floor		
A2	1	109.54 m^2	First Floor	North West	3 B.H.K.
"	"	"	Second floor		
"	"	"	Third Floor		
"	"	"	Fourth Floor		
"	"	"	Fifth Floor		
A3	1	109.93 m^2	First Floor	South East	3 B.H.K.
"	"	"	Second floor		
"	"	"	Third Floor		
"	"	"	Fourth Floor		
A4	1	109.57 m^2	First Floor	North East	3 B.H.K.
"	"	"	Second floor		
"	"	"	Third Floor		
"	"	"	Fourth Floor		
"					

Description of Block – B

Type	No.	Area	Floor	Location	No. of Rooms
B1	2	89.31 m^2	First Floor	South West	2 B.H.K.
"	"	"	Second floor		
"	"	"	Third Floor		
"	"	"	Fourth Floor		
"	1	"	Fifth Floor		
B2	2	86.92 m^2	First Floor	East West	2 B.H.K.
"	"	"	Second floor		
"	"	"	Third Floor		
"	"	"	Fourth Floor		
"	1	"	Fifth Floor		
B3	2	89.57 m^2	First Floor	NorthWest	2 B.H.K.
"	"	"	Second floor		
"	"	"	Third Floor		
"	"	"	Fourth Floor		
"	1	"	Fifth Floor		

For K. D. Sons [illegible]

Director

(2) a) In Each Apartments (Flats)

Block-A (type-A1) :- (For Area 109.51 Sq.mtr.)(SW)

Nos. of Rooms :			
	Drawing	-	1 Nos.
	Dining	-	1 Nos.
	Bed Room	-	3 Nos.
	Toilets	-	2 Nos.
	Balcony	-	3 Nos.
	Kitchen	-	1 Nos.

Block-A (type-A2) :- (For Area 109.54 Sq.mtr.)(NW)

Nos. of Rooms :			
	Drawing	-	1 Nos.
	Dining	-	1 Nos.
	Bed Room	-	3 Nos.
	Toilets	-	2 Nos.
	Balcony	-	3 Nos.
	Kitchen	-	1 Nos.

Block-A (type-A3) :- (For Area 109.93 Sq.mtr.)(SE)

Nos. of Rooms :			
	Drawing	-	1 Nos.
	Dining	-	1 Nos.
	Bed Room	-	3 Nos.
	Toilets	-	3 Nos.
	Balcony	-	3 Nos.
	Kitchen	-	1 Nos.

Block-A (type-A4) :- (For Area 109.57 Sq.mtr.)(NE)

Nos. of Rooms :			
	Drawing	-	1 Nos.
	Dining	-	1 Nos.
	Bed Room	-	3 Nos.
	Toilets	-	2 Nos.
	Balcony	-	4 Nos.
	Kitchen	-	1 Nos.

For K. L. Sons (P) Ltd.

Director

Block-B (type-B1) :- (For Area 89.31 Sq.mtr.)(SW)

Nos. of Rooms :	Drawing	-	1 Nos.
	Dining	-	1 Nos.
	Bed Room	-	2 Nos.
	Toilets	-	2 Nos.
	Balcony	-	2 Nos.
	Kitchen	-	1 Nos.

Block-B (type-B2) :- (For Area 86.92 Sq.mtr.)(EW)

Nos. of Rooms :	Drawing	-	1 Nos.
	Dining	-	1 Nos.
	Bed Room	-	2 Nos.
	Toilets	-	2 Nos.
	Balcony	-	1 Nos.
	Kitchen	-	1 Nos.

Block-B (type-B3) :- (For Area 89.57 Sq.mtr.)(NW)

Nos. of Rooms :	Drawing	-	1 Nos
	Dining	-	1 Nos.
	Bed Room	-	2 Nos.
	Toilets	-	2 Nos.
	Balcony	-	2 Nos.
	Kitchen	-	1 Nos.

(3) Description of common area & Facilities: -

i. 1.5 M. wide Passage for entry of each Flat
ii. 2 Nos. main stairs & 2 NO. Fire Escape is provided
iii. 2 Nos. Lift are Provided
(Capacity of each Lift – 6 Passenger)
iv. Car Parking is Provided 46 in Stilt .
v. Common Service Area 15.55 Sqm. for block-A
vi. Common Area & Facilities are reserved for any Flat.

For K. B. [illegible]

Director

Allahabad Branch

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

ABD/10847/02-7049/2015

17-09-2015

To
The Secretary
Allahabad Development Authority
Allahabad-211001

Dear Sir,
Sub: - Fixed Deposit No. 13920300193723 for Rs. 280100/- in the name of M/s. K.L. Sons P Ltd.

With reference to the above stated fixed deposit receipt we confirm that:-

1. There is [redacted] lock in period for 5 years for encashment of the said Deposit Receipt.
2. The amount under the said FDR would be paid to you on demand with our demur on or before the maturity of the said FDR without any reference to M/s. KL Sons P Ltd.
3. Encashment whether premature or otherwise would not require any clearance from any other authority/person.
4. The FDR will be renewed for such periods as you may instruct.
5. On the encashment of FDR the interest accrued will also be released to "The secretary, Allahabad Development Authority".

You are requested to provide us your authorized signatory list for our records on the below mentioned address.

Yours Faithfully
FOR THE FEDERAL BANK LTD.

Shuchi Gupta
Manager (CA
SHUCHI GUPTA
MANAGER BR. ALLAHABAD

Encl: - Fixed Deposit Receipt No. 13920300193723

The Federal Bank Ltd. 23, NPA Arcade, M G Marg, Civil Lines, Allahabad – 211001, U P.
E-mail: abd@federalbank.co.in / *Phone: 0532 - 2560199, Fax: 0532 - 2560019*

A 791

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

Receipt No.: H 752639

Branch: ALLAHABAD/1392

A/c No.: 13920300193723

Date: 17-09-2015

CASH CERTIFICATE

AUTO RENEWAL ACTIVATED

RECEIVED WITH THANKS FROM: K L SONS PVT LTD.
1,LUKERGANJ,
ALLAHABAD,UTTAR PRADESH
INDIA,PIN - 211001

RUPEES INDIAN RUPEES Two Lakh Eighty Thousand One Hundred only

AS A CASH CERTIFICATE Operation Mode: SINGLE

Effective Date	Rate%	Period			Repayable on	Deposit Amount	Maturity Value
		Days	Month/s	Year/s			
17-09-2015	9.00	0	60		17-09-2020	***2,80,100.00	***4,16,214.00

Annualized Yield : 9.71

Pre-closure charges applicable for deposits

For The Federal Bank Ltd.

Federal Bank Ltd. 23, M.G. Marg, Allahabad

Not Transferable Clerk Asst. Manager Chief/Senior Manager/Manager

The Federal Bank Limited, Regd. Office: Aluva.

RENEWAL DETAILS

Date of Renewal	Renewed w.e.f	New A/c No.	Period	Interest	Deposit Amount	Due Date	Maturity Value	Signature

PARTICULARS OF CHARGES/LIEN

Date	Nature	A/c No.	Amount	Intl.	Closed on	Intl.

Received ₹ .... (Rupees ....

.... only)

Name & Signature of Depositor/s

Date :

This deposit is held as security for the execution o. Approval of MAP K L Sons Pvt Ltd through director Sanjeev Kanodia and ... disposal of Federal Bank and ... amount covered by the deposit will not be ... without the concurrence of The secretary Allahabad development Authority

I agree

For the Federal Bank Ltd.

Lava Kumar Singh
SP No.- 5202

Revenue Stamp

Clerk

Asst. Manager

Chief/Senior Manager/Manager

Payment of interest/maturity value is subject to TDS at the rate applicable from time to time.
Tax will be deducted at source unless Form 15H / 15G is submitted for every financial year in advance
Deposits will be renewed for the identical period at interest rates then applicable as a continuing process until instruction to the contrary is received from the Depositor/s.

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

बुक-सं०./ 240 क्रम सं०

सेवा में,

श्री संदीप कनौजिया एवं श्री संदीप कनौजिया 68 [illegible]

Plot No- 7/7 [illegible]

(पुनः [illegible] फेज-II)

दिनांक 5/6/15

महोदय/महोदया,

आपका पत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ। भेजा चेक सं. 117688 दिनांक 5/6/15 प्राप्त हुआ।

रुपया 392874/ मद में ....

....

विकास प्राधिकरण को जो रकम पाना है किसी हालत में भी उसकी यह रसीद नहीं समझना चाहिए। नियमानुसार चेक के कैश हो जाने के बाद अथवा चार दिन के पश्चात् मूल प्रति खजाने से प्राप्त की जा सकती है। मूल रसीद प्राप्त करने के लिए इसे लाना अनिवार्य है।

भवदीय

कोषाध्यक्ष

Office
GE/CF&Mo

जनरल फंड

A/c No. 06940110012093

मलवा शुल्क
9-2

(52)

Date
02/06/15

प्रपत्र संख्या 6

(नियम 10 (2) देखें)

इलाहाबाद नगर निगम

बैंक को धनराशि विप्रेषित करने का चालान

तीसरी प्रति

(भुगतान करने वाले व्यक्ति को लौटाने के लिए)

यूको बैंक, नगर निगम शाखा - इलाहाबाद

दिनांक 02/06/2015

	रु०	पैसा
प्राप्त नकदी चैक संख्या तथा बैंक का नाम नगर आयुक्त महोदय के आदेश क्रम में श्री संजीव कनौजिया द्वारा सुदृढ़ीकरण मलवा शुल्क के रूप में प्राप्त चेक The Federal B. LTD Allhd. Ch. No 117684 Date 02/06/15	338,960	00
योग शब्दों में रुपये - तीन लाख अड़तीस हजार नौ सौ साठ मात्र - शेष	338,960	00

परीक्षण किया गया और प्रविष्ट की गई

बैंक की मुहर

सहा0 प्रबन्धक

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक–यातायात,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/ग्रु- आ-(त-स-2)/ओएस2/6-H/1548 दिनांक : 8/05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व स्थल पर पार्किंग की उपलब्धता एवं यातायात पर पड़ने वाले दबाव के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

उक्त के कम में आवेदक द्वारा दाखिल मानचित्र की दो प्रति संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पार्किंग एवं यातायात के दृष्टिकोण से मानचित्र का परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नक : मानचित्र की दो प्रति।

भवदीय

08/05/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री संजीव कनौडिया
श्री संदीप कनौडिया
डायरेक्टर के0एल0 सन्स
कार्यालय पता–01 लूकरगंज
इलाहाबाद।

पत्रांक :–107/प्र0अ0(त0स0–2)/जोन–2/ग्रु0हा0/2014–15 दिनांक : 06/05/2015

महोदय,

कृपया जोन सं0–(2) के उपजोन सं0–( ) के अर्न्तगत प्लाट नं0 7/7, लूकरगंज, इलाहाबाद (पूनम अपार्टमेण्ट फेस–II) (क्षेत्रफल 282591.91 वर्गमीटर) पर दाखिल अर्फोडेबुल समूह आवास मानचित्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रस्तुत मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, तद्नुसार उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 25.04.2015 के कम में निम्नांकित अतिरिक्त औपचारिकताऍ पूर्ण करने की अपेक्षा की जाती है :–

1– उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

2– स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।

3– मानचित्र की स्वीकृति हेतु निम्नांकित धनराशि देय है :–

(अ) परमिट शुल्क	–	रू0 5,000.00
(ब) जल शुल्क.	–	रू0 1,53,534.00
(स) वाह्य विकास शुल्क	–	रू0 29,24,817.00
(द) उप विभाजन शुल्क	–	रू0 8,47,773.00
	कुल योग :–	रू0 39,31,124.00

4– स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार निर्मित एवं विकसित करना होगा। प्रतिभूति के रूप में रू0 2,80,098.00 का एफ0डी0आर0 सचिव इ0वि0प्रा0 के पक्ष में प्लेज्ड करना होगा, जिसे रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली विकसित किये जाने के पश्चात् भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।

5– प्रस्तावित स्थल पर 20 अदद बृक्षारोपण करना होगा तथा बृक्ष को हरा भरा करने का दायित्व आवेदक का होगा।

6–सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना, संयोजन प्लान किचेन, बाथरूम मे दर्शित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।

–2–

7– उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा एवं बिल्डर द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

8– स्ट्रक्चरल इन्जिनियर द्वारा ड्राइंग, डिजाइन डिटेल व सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कराया जाना आवश्यक है।

9– निम्नांकित विभागो की अनापत्तियॉ प्राप्त होने के उपरान्त ही नियमानुसार मानचित्र निर्गत की जायेगी।

A. पुलिस अधीक्षक–यातायात, इलाहाबाद।
B. नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
C. मुख्य अभियन्ता–विद्युत इलाहाबाद।
D. महा प्रबन्धक जलकल विभाग, (नगर निगम) इलाहाबाद।
E. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद।

10– परिसर में स्ट्रीट लाईट सोलर पैनल द्वारा प्रज्वलित किया जायेगा।

11– आन्तरिक विकास का प्रोजेक्ट पी0डब्ल्यू0डी0 दर पर देना होगा, जिसके परीक्षणोपरान्त आवश्यक धनराशि की बैंक गारण्टी देय होगी।

12– प्रस्तुत समूह आवास मानचित्र को 45 आवासीय इकाई एवं कनवीनियेण्ट शाप के निर्माण की अनुमति हेतु है, अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण निषिद्ध होगा।

13– विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।

14– माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

15– यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

16– उपर्युक्त शर्तो को पूर्ण करने तथा मानचित्र की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत माना जायेगा। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का उपयोग/अधिभोग किया जायेगा। Conditions से Material/Substantial विचलन की स्थिति में प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियॉ अकृत एवं शून्य समझी जायेगी।

अतः आप देय धनराशि मॉग पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्तर्गत इलाहाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करते हुए अन्य वांछित औपचारिकताये पूर्ण कर दे ताकि मानचित्र निर्गमन की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम,
इलाहाबाद।

सेवा में,

ओ0एस0डी0/प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

पत्रांकः सं0 763/STCE/2015 दिनांकः 5-6-2015

विषयः- प्लाट नं0-7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल- 2825.91 वर्ग मी0) पर दाखिल समुह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर, अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय्

उपरोक्त विषयक प्लाट नं0- 7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल- 2825.91 वर्ग मी0) पर दाखिल समुह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर, अनापत्ति निम्न शर्तो पर दी जाती है।

1- आवेदक द्वारा नगर निगम कोष में रू0 3,38,960.00 (तीन लाख अड़तीस हजार नव सौ साठ) जमा किया जा चुका है।

2- भवनों के निर्माण के दौरान नगर निगम की किसी भी अवस्थापना सुविधा जैसे-सड़क पटरी इत्यादि प्रभावित होती है तो उसका मरम्मत एवं निर्माण आवेदक द्वारा कराया जायेगा।

3- भवनों के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि अवस्थापना सुविधा क्षतिग्रसत न हो।

4- भवनों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था Building By-Laws के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

5- फायर ब्रिगेड विभाग की एन0ओ0सी0 लेना आवश्यक होगा।

6- भवनों का निर्माण Buiding by-Laws के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

7- उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर जारी एन0ओ0सी0 स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

भवदीया

(वन्दना त्रिपाठी)
अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम इलाहाबाद।

Received on 8/6/15
by Planning Babu

मुख्य निदेशक लेखाधिकारी

कृपया नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 01/06/15 [illegible] हेतु [illegible] 338960/- [illegible]

[illegible]

A/c No. 13920200007049

THE FEDERAL BANK LIMITED

Allahabad Br. [up]
Allahabad - 211 001
IFSC: FDRL0001392

CURRENT ACCOUNT
Valid for 3 months only

FEDTRADE 50

Date: 02 06 2015 (D D M M Y Y Y Y)

Pay Nagar Aayuct, Nagar Nigam. या धारक को or Bearer

रुपये Rupees Three lac thirty eight thousand nine hundred Sixty only अदा करें ₹ 338960/-

खा. सं. A/c No. 13920200007049

For A. L. SONS PVT. LTD.

Chq.No. 10117684
E or S

PAYABLE AT ALL BRANCHES OF FEDERAL BANK

AUTHORISED SIGNATORY AUTHORISED SIGNATORY
AUTHORISED SIGNATORY
Please sign above

⑈117684⑈ 211049002⑆ 101392⑈ 29

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2),
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/प्र0अ0(त0स0-2)ओ0सी0 2/2014/15-16 दिनांक : 8 /05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/ निर्गमन के पूर्व स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एवं उस पर पड़ने वाले दबाव के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

इस हेतु दाखिल मानचित्र की एक प्रति संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से मानचित्र का परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे 15 दिनो के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नक : मानचित्र की एक प्रति।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 08/05/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद

पत्र संख्या 2015/9726/ald-/Allahabad /99/CFO दिनांक : 16 मई, 2015

सेवा में,

ओ एस डी / प्रभारी अधिकारी (त0सं0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

विषयः प्लाट नं0 7 / 7 लूकरगंज, इलाहाबाद पर दाखिल समूह आवास मानचित्र पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना।

सदर्भः आपका पत्र सं0 107 / प्र0अ0 (त0स0–2) जोन–2 / जी0एच0 / 14–15 / दिनांक 08.05.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित आपके पत्र के क्रम में श्री संजीव कनोडिया एवं श्री संदीप कनोडिया, डायरेक्टर के0एल0 संस द्वारा प्लाट नं0 7 / 7 लूकरगंज, इलाहाबाद पर दाखिल समूह आवास मानचित्र (अफोर्डेबुल) का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, सिविल लाइन, द्वारा कराया गया। प्राप्त आख्या का परिशीलन सुसंगत मानकों के अनुसार मेरे द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

<u>भवन की संरचना</u>

1. कुल प्लाट एरिया– 2825.91 वर्ग मी0
2. भू–तल कवर्ड एरिया (स्टिल्ट फ्लोर)–ब्लाक ए–502.25 वर्ग मी0
   ब्लाक बी– 581.89 वर्ग मी0
3. प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया (प्रत्येक तल वार विवरण)
   ब्लाक ए– प्रथम तल से चतुर्थ तल तक प्रत्येक– 502.25 वर्ग मी0, पंचम तल– 281.89 वर्ग मी0
   ब्लाक बी– प्रथम तल से चतुर्थ तल तक प्रत्येक– 581.89 वर्ग मी0 पंचम तल – 310.11 वर्ग मी0
4. वेसमेंट कवर्ड एरिया–निल
5. भवन की ऊँचाई – 17.85 मी0

6. भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन एन0बी0सी0–2005 के अनुसार समूह आवास ए–4 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

ढांचागत व्यवस्था

1. पहुँच मार्ग– भूखण्ड के सामने मानचित्र में 12 मी0 रोड की चौड़ाई है।
2. प्रवेश द्वार– मानक के अनुसार है।
3. सेट बैक– प्रश्नगत भवन का सेट बैक निम्नवत है–

		ब्लाक ए	ब्लाक बी
(क)	अग्र भाग	06 मी0	06 मी0
(ख)	पृष्ठ भाग	06 मी0	06 मी0
(ग)	पाश्व–प्रथम	06 मी0	06 मी0
(घ)	पार्श्व–द्वितीय	06 मी0	06 मी0

प्रश्नगत भवन का सेट बैक भवन नियमावली के अनुसार है। सेट बैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेट बैक में किसी प्रकार स्थायी/अस्थायी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

4. निकास मार्ग– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में दो स्टेयर केस जिनकी चौड़ाई 1.5 मी0 प्राविधानित है। जिसकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
5. रिफ्यूजी एरिया– प्रत्येक फ्लोर पर बालकनी 0.3 वर्ग मी0 प्रति व्यक्ति की दर से प्राविधानित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था–

एन0बी0सी0 2005 के भाग–4 के अनुसर निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है–

1. होजरील/डाउन कमर– प्रस्तावित भवन के ब्लाक–ए, ब्लाक–बी में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3844 मानकों के अनुसार प्रावधानित किया जाय।
2. हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम– प्रस्तावित भवन के ब्लाक–ए, ब्लाक–बी में प्रावधानित किया जाय।
3. टेरिक टैंक–ब्लाक–ए, ब्लाक–बी में 25000 लीटर क्षमता का प्रावधानित किया जाय।

4. फायर पम्प– ब्लाक–ए, बलक–बी में टेरिस टैंक के पास 900 एल0पी0एम0 का प्रावधानित किया जाय।

5. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)– भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकृत चिन्ह युक्त आई0एस0–2190 के अनुसार प्रावधानित किया जाय।

6. एग्जिट साईनेज– एग्जिट साईनेज प्रावधानित किया जाय।

7. पी0ए0 सिस्टम– प्रावधानित किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार श्री संजीव कनोडिया एवं संदीप कनोडिया द्वारा प्लाट नं0 7/7 लूकरगंज इलाहाबाद पर दाखिल समूह आवास मानचित्र की स्वीकृत हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया --2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन/इकाई के निर्माणोंपरानत भवन/इकाई का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन/इकाई निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण--पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आई0 के0 तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
इलाहाबाद।

प्रतिलिपिः

1. आवेदक को अनुपालनार्थ।
2. अग्निशमन अधिकारी, सिविल लाइन्स को सूचनार्थ।

16/5/15

(आई0 के0 तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
इलाहाबाद।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
पी0डी0टण्डन रोड,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/प्र-3(त-स-2)/अनु2/ज-1/15 दिनांक : 8/05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व अग्नि सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

इस हेतु दाखिल मानचित्र की दो प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानचित्र का परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नक : मानचित्र की दो प्रति।

भवदीय

08/05/15

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी(त0स0–2)

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।</u>

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
पी0डी0टण्डन रोड,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/प्र0अ0(त0स0-2)/अग्नि/2015-16 दिनांक : 8/05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

————————

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व अग्नि सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

इस हेतु दाखिल मानचित्र की दो प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानचित्र का परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करे।

<u>संलग्नक : मानचित्र की दो प्रति।</u>

भवदीय

08/05/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी(त0स0–2)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
73, टैगोर टाउन, इलाहाबाद–211003
ई–मेल :gmdallahabadpvvnl@gmail.com
CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांक 3018 /मु0अ0(वि0)इ0क्षे0/पी–2(मानचित्र) दिनांक/जुलाई 08 2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अफोर्डेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के संबंध में ।

संयुक्त सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद ।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रभारी अधिकारी (त0स0–2), इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के पत्र सं0 107/प्र0अ0–(त0स0–2)/जोन–2/ग्रु0हा0/2014.15 दिनांक 8.5..2015 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके माध्यम से उनके द्वारा श्री संजीव कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अफोर्डेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने हेतु इलेक्ट्रिकल प्लान प्रेषित किया गया था ।

उपरोक्त विषय मे आपके स्तर से उपलब्ध कराए गए मानचित्र में अधीक्षण अभियंता, वि0न0वि0मं0–1 इला0 एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, कल्याणीदेवी, इलाहाबाद द्वारा मानचित्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं जो संलग्न है। विद्युत भार का आवेदन प्राप्त होने पर मीटर रूम का निर्माण तथा ट्रॉसफारमर/विद्युत उपकरणों की स्थापना विद्युत सुरक्षा नियमों एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के अनुसार की जाएगी । विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के निम्न मुख्य विंदुओं का मानचित्र स्वीकृति में समावेश आपके स्तर से आवश्यक है जिससे भविष्य में आवेदन प्राप्त होने पर प्राविधानों का पालन हो सके :–

1– प्रस्तावित मानचित्र (कुल क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर ब्लाक ए में 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है । मानचित्र कुल 45 आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु है । विद्युत वितरण संहिता 2005 अध्याय 4 प्रस्तर 4.9 सी (1) निम्नवत है :–

(i) Develop, construct the entire infrastructure required for distribution network from the licensee's sub station (220/132/33 KV or 33/11KV or 11/0.4 KV), upto the connection outlets in individual owner's premises, at his own cost, or by depositing fixed amount as per Cost Data Book, with the Licensee अतः तदअनुसार स्थान आरक्षित किया जाना चाहिए ।

2– वसबार लाक एवं की में रहेगा ।

3– कोई भी केविल एचटी/एलटी अडरगाउंड नहीं रहेगी । यदि केविल को अण्डरग्राउण्ड किया जाना आवश्यक हो तो ट्रेंच का प्राविधान रहेगा (कवर सहित)

4– मीटर रूम/ट्रॉसफारमर रूम में फायर फाइटिंग की व्यवस्था निर्माण कर्ता द्वारा की जानी आवश्यक है । इन कमरों/स्थानों पर वाटर लागिग (Water logging) नहीं होनी चाहिए ।

5– भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इलेक्ट्रिक रूल्स 1956) के नियम 77,79,80 एवं 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा, जो विभिन्न वोल्टज की विद्युत लाइनों/उपकरणों से इमारत की दूरी (clearance) से संबंधित है । अतः निर्माण के पूर्व अधिशासी अभियन्ता से चेक कराना आवश्यक होगा ।

6– उपरोक्त विवरण (कुल क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर समूह आवास योजना के लिये है। उपरोक्त अनापत्ति विद्युत कनेक्शन स्वीकृत/निर्गत करने हेतु नहीं है । ईमारत के निर्माण के बाद विद्युत संयोजन के लिये आवेदन/विद्युत भार की सूचना प्राप्त होने पर पारेषण एवं वितरण स्कंध की तकनीकी सम्भाव्यता रिपोर्ट (Technical feasibility) प्राप्त करके तद्अनुसार यदि उस समय विद्युत तंत्र में भार देने की क्षमता उपलब्ध रहेगी तभी विद्युत संयोजन निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी । उपरोक्त तथ्यों को भवन के स्वीकृत मानचित्र/भवन निर्माण हेतु निर्गत आदेश पत्र में उल्लेखित करते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।

संलग्नक :– यथोपरि मूल रूप से

(एस0पी0 पॉडेय)
मुख्य अभियन्ता (वितरण)

पत्रांक /मु0अ0(वि0)इ0क्षे0/पी–2(मानचित्र) दिनांक/जुलाई 2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–1, इलाहाबाद।
2– अधिपासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण 2 खं0 कल्याणीदेवी, इलाहाबाद।

(एस0पी0 पॉडेय)
मुख्य अभियन्ता (वितरण)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, (जांचदल) जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद

पत्र सं0डी0/79/ज0क0वि0/जांचदल/015

दिनांक 21-5-2015

सेवा में, श्री संजीव अग्रौडिया एवं
श्री संदीप अग्रौडिया, डायरेक्टर
के.एम.एम., लोकनाथ-7/7
[illegible]

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

<u>कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, (जांचदल) जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद</u>
पत्र सं0 डी0/79 /ज0क0वि0/जांचदल/015 दिनांक 21-5-2015

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी, (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

विषयः– <u>प्लाट नं0– 7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0/107/प्र0अ0 (त0स0–2) जोन–2/जी0एच0/ 2014–15 दिनांक 08.05.2015 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्माणाधीन भूखण्ड के विरुद्ध श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया डायरेक्टर, के0एल0 सन्स प्लाट नं0– 7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद ने इस कार्यालय के पत्र सं0 75/ज0क0वि0/जांचदल/015 दिनांक 20.05.2015 के अनुसार विकास शुल्क (जल/सीवर) मद में रु0 1,51,186.00 का भुगतान चेक सं0 117670 दिनांक 18.05.2015 द्वारा जलकल विभाग कोष में जमा करा दिया गया है। सम्बन्धित उपभोक्ता के मानचित्र को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद को कोई आपत्ति नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता
(जांचदल)

<u>पृ0प0स0 एवं दिनांक तदैवः–</u>
प्रतिलिपिः– श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया डायरेक्टर, के0एल0 सन्स प्लाट नं0– 7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता
(जांचदल)

जल-कल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद

चैक प्राप्ति की कच्ची रसीद

[illegible]

क्र.सं.	मद	विगत मांग	वर्तमान मांग	योग
1	जल कर	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	जल मूल्य	सी-2		15186
3	सीवर कर			
4	सीवर परि			
5	सर्विस चार्ज			
6	अन्य मद			
	योग			15186

हस्ताक्षर मांग लिपिक

हस्ताक्षर प्राप्तिकर्ता

नोट : चेक खाते में क्रेडिट हो जाने पर पक्की रसीद अलग से निर्गत की जायेगी।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, (जांचदल) जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद

पत्र सं0 डी0/79 /ज0क0वि0/जांचदल/015 दिनांक 21-5-2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी, (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

विषयः– प्लाट नं0– 7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0/107/प्र0अ0 (त0स0–2) जोन–2/जी0एच0/2014–15 दिनांक 08.05.2015 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्माणाधीन भूखण्ड के विरुद्ध श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया डायरेक्टर, के0एल0 सन्स प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद ने इस कार्यालय के पत्र सं0 75/ज0क0वि0/जांचदल/015 दिनांक 20.05.2015 के अनुसार विकास शुल्क (जल/सीवर) मद में रु0 1,51,186.00 का भुगतान चेक सं0 117670 दिनांक 18.05.2015 द्वारा जलकल विभाग कोष में जमा करा दिया गया है। सम्बन्धित उपभोक्ता के मानचित्र को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद को कोई आपत्ति नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता
(जांचदल)

पृ0प0स0 एवं दिनांक तदैवः–
प्रतिलिपिः– श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया डायरेक्टर, के0एल0 सन्स प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता
(जांचदल)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, (जांचदल) जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद

पत्र सं0डी0/79/ज0क0वि0/जांचदल/015

दिनांक 21-5-2015

सेवा में, श्री संजीव अमोडिया एवं
श्री संदीप अमोडिया, डायरेक्टर
मै. एल. एम. एस., [illegible]-7/7
[illegible], बाजार

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, (जांचदल) जलकल
विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद

पत्र सं0डी0 / 79 / ज0क0वि0 / जांचदल / 015

दिनांक 21-5-2015

सेवा में, श्री संजीव अग्रोडिया एवं

श्री संदीप अग्रोडिया, डायरेक्टर्स

के.एल.एस.एस., लोहिया-7/7

[illegible]

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, (जांचदल) जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद

पत्र सं0 डी0/79 /ज0क0वि0/जांचदल/015 दिनांक 21-5-2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी, (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

विषयः– प्लाट नं0– 7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0/107/प्र0अ0 (त0स0–2) जोन–2/जी0एच0/2014–15 दिनांक 08.05.2015 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्माणाधीन भूखण्ड के विरुद्ध श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया डायरेक्टर, के0एल0 सन्स प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद ने इस कार्यालय के पत्र सं0 75/ज0क0वि0/जांचदल/015 दिनांक 20.05.2015 के अनुसार विकास शुल्क (जल/सीवर) मद में रु0 1,51,186.00 का भुगतान चेक सं0 117670 दिनांक 18.05.2015 द्वारा जलकल विभाग कोष में जमा करा दिया गया है। सम्बन्धित उपभोक्ता के मानचित्र को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद को कोई आपत्ति नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता
(जांचदल)

पृ0प0स0 एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः– श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया डायरेक्टर, के0एल0 सन्स प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता
(जांचदल)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
जलकल विभाग (नगर निगम)
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/पु.अ. (त-स-2) ओप-2/ओ.एफ/15 दिनांक : 8/05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व स्थल पर जल संयोजन एवं सीवर की उपलब्धता तथा उस पर पड़ने वाले दबाव के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

उक्त के कम में आवेदक द्वारा दाखिल मानचित्र की एक प्रति संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सीवर एवं जल संयोजन के दृष्टिकोण से परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नक : मानचित्र की एक प्रति।

भवदीय

08/05/15

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात इलाहाबाद

संख्याः आर/एसपीटी/एनओसी (14)/2015 दिनांकः मई 18, 2015

सेवा में,

ओएसडी/प्रभारी अधि0(त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

कृपया अपने पत्रांकः 107/प्र0अ0 (त0स0–2)/जोन–2/जी0एच0/2014–15 दिनांकः 08.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर 45 आवासीय इकाई की अनुमति हेतु समूह आवास (अफोंडेबुल हाउस) निर्माण हेतु मानचित्र दाखिल किया गया है जो विचाराधीन है। उक्त मानचित्र स्थल पर पार्किंग एवं यातायात की उपलब्धता के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने विषयक है।

अतः उक्त के सन्दर्भ में क्षेत्राधिकारी नगर, प्रथम/ क्षेत्राधिकारी यातायात/यातायात निरीक्षक इलाहाबाद की (संलग्न) संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि मय मानचित्र के।

19/5/15

(राज कमल यादव)
पुलिस अधीक्षक यातायात,
इलाहाबाद।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
जलकल विभाग (नगर निगम)
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/भ.अ.(त-स-2) जोन-2/ज.ना.(15) दिनांक : 8/05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

———————

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व स्थल पर जल संयोजन एवं सीवर की उपलब्धता तथा उस पर पड़ने वाले दबाव के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

उक्त के कम में आवेदक द्वारा दाखिल मानचित्र की एक प्रति संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सीवर एवं जल संयोजन के दृष्टिकोण से परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नक : मानचित्र की एक प्रति।

भवदीय

08/05/15

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
पी0डी0टण्डन रोड,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/प्र0अ0(त0स0-2)/अनु0 2/ 2014/15 दिनांक : 8/05/2015

विषय :— प्लाट नं0—7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अफोंडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0—7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अफोंडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व अग्नि सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

इस हेतु दाखिल मानचित्र की दो प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानचित्र का परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करे।

<u>संलग्नक : मानचित्र की दो प्रति।</u>

भवदीय

08/05/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी(त0स0–2)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक–यातायात,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/पु॰ अ॰ (त॰स॰-2)/ ... /15-16 दिनांक : 8/05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व स्थल पर पार्किंग की उपलब्धता एवं यातायात पर पड़ने वाले दबाव के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

उक्त के कम में आवेदक द्वारा दाखिल मानचित्र की दो प्रति संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पार्किंग एवं यातायात के दृष्टिकोण से मानचित्र का परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नक : मानचित्र की दो प्रति।

भवदीय

08/05/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।</u>

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता–विद्युत,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
UPPCL, 73 टैगोर टाउन,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/प्र0अ0(त0स0–2)जोन2/जी0एच0/2015 दिनांक : 8/05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

———————

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व विद्युत संयोजन एवं भार के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

उक्त के क्रम में आवेदक द्वारा दाखिल Detail Electrical Plan/Building Plan की एक प्रति संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विद्युत संयोजन एवं भार के दृष्टिकोण से परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करे।

<u>संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।</u>

भवदीय

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)

Annexure-5

CERTIFICATE

(To be submitted with the application for obtaining completion certificate)

1. Certified that the building for which completion plan has been submitted for approval, conforms to The requirement of relevant Indian Standard Codes and National Building Code as referred in Annexure-2 of **G.O. No 570/9- A/1- Bhookamp Rodhi / 2001(A.B.)date Feb. 03, 2001** in respect of Structural safety in general and Natural hazards including earthquake in particular.

2. It is also certified that the Building has been constructed as per approved foundation and structural designs provided by the structural Engineer which are certified to be based on relevant Indian standard codes and National Building code as referred above and the building is safe for occupancy

3. **Location/ Address of Building**
   Plot No............................
   Scheme/colony...................
   Town..............................
   District...........................

4. **Particular of Building**

I. Ground Coverage (sq mt)................
II. Total covered area (sq mt).............
III. Maximum Numbers of Floor above ground................

For K. L. Sons (P) Ltd. For K. L. Sons (P) Ltd.

Signature of Owner with date

Director Director

Name(Block) SANDEEP KANODIA
SANJEEV KANODIA

Address
....1- LUKERGANJ
.......ALLAHABAD
....

Signature of the Engineer who had Supervised the Construction

Name(Block)................
Legible Seal
(with address)

Signature of the Architect who had Supervised the Construction

Name (Block)..ANIL KUMAR GUPTA
COA Registration No.CA/89/12467
Legible(with address)

ANIL K. GUPTA
B. Sc., B. ARCH.
ARCHITECT
Regd. No. CA/89/12467

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, कल्यानी देवी,
पू.वि.वि.नि.लि., 1–कमला नेहरु रोड, इलाहाबाद।

CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांकः ....–वि0न0वि0खं0(क0दे0)/इला0 दिनाँक ....

विषयः प्लाट नं0 7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अफोर्डबल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0
57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक 1902(वि0न0वि0मं0–प्र0/अधी0अभि0)पी–2 दिनॉक 27.05.2015 के सन्दर्भ में प्लाट नं0 7/7 लूकरगंज, इलाहाबाद पर दाखिल समूह आवास मानचित्र पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, खुशरूबाग द्वारा उपलब्ध करायी वांछित सूचना मूलरूप में मानचित्र के सहित आपके आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–
1. मानचित्र मूलरूप में।
2. भार गणना प्रपत्र।
3. उपखण्ड अधिकारी की आख्या बिन्दुवार।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
अधिशासी अभियन्ता

Diary No. 398
Date 16-6-2015
E.U.D.D. Kalyani Devi Alld.

कार्यालय
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड खण्ड, खुशरोबाग,
पू.वि.वि.नि.लि., लीडर रोड, इलाहाबाद।

पत्रांकः— 120 वि0न0वि0उ0खं0(खु0बाग) ई0 दिनॉकः— 17.06.15

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड
कल्याणी देवी इलाहाबाद।

विषयः— प्लाट नं0 7/7 लूकरगंज इलाहाबाद पर दाखिल समूह आवास (अफोड्रेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दिये निर्देश, अधीक्षण अभियन्ता वि0न0वि0म0 प्रथम इला0 के कार्यालय पत्र सं0 1902/वि0न0वि0म0/प्र0/अधी0अभि0/पी–2 दिनांक 27.05.2015 एवं मु0अ0(वि0) इला0 क्षेत्र के पत्र संख्या 2307/मु0अ0(वि0) इला0 क्षेत्र/पी–2 (मानचित्र) दि0 23.05.2015 के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्लाट नं0 7/7 लूकरगंज पर दाखिल समुह आवास मानचित्र पर अनापत्ति हेतु विवरण निम्न है।

1– प्लाट सं0 7/7 लूकरगंज पर कोई विद्युत विल बकाया नही है

2– 1.लूकरगंज इलाहाबाद जो इसी प्लाट सं0 7/7 में है पर विद्युत संयोजन सं0 130150 श्री संजीव कनोडिया के नाम निर्गत है जिसका विद्युत विल जमा हो रहा है।

3– परिसर के अन्दर/उपर से कोई अन्य 11 के0वी0 या 33 के0वी0 लाइन नही जा रही है।

4– संलग्न मानचित्र के अनुसार भार गणना 195 के0वी0ए0 आ रहा है जिसका 11 के0वी0 पर लोड 10.25 एम्पीयर होता है।

5– इस संयोजन को ट्रान्सफार्मर नं0.1 से पोषित बनर्जी फीडर से उर्जीकृत किया जा सकता है जिसका वर्तमान पीक आवर में लोड 110 एम्पीयर है।

सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः— यथोपरोक्त

राकेश कुमार
(उपखण्ड अधिकारी)
वि0न0वि0उपखण्ड
खुशरोबाग

प्लाट सं0 7/7 लूकरगंज इलाहाबाद के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु भार गणना

आवासीय प्रायोजन

स्टील्ट क्षेत्रफल 1084.14×50 प्रतिशत	542.07 वर्ग मीटर
ब्लाक A का कुल क्षेत्रफल (प्रथम तल से पंचम तल)	2290.98 वर्ग मीटर
ब्लाक B का कुल क्षेत्रफल (प्रथम तल से पंचम तल)	2637.67 वर्ग मीटर
योग	5470.72 वर्ग मीटर

अन्य प्रायोजन

प्रस्तावित अन्य (वाणि0)का क्षेत्रफल	79.03 वर्ग मीटर
योग	79.03 वर्ग मीटर

भार गणना

घरेलू विधा हेतु विद्युत भार की गणना (5470.72 वर्ग मीटर) प्रति वर्ग मीटर 500 वाट लोड = 5470.72×0.5/10 = 273.54 कि0वा0 20 प्रतिशत कामन फैसिलिटी = 54.71 कि0वा0 योग = 328.25 कि0वा0	वाणिज्यिक विधा हेतु विद्युत भार की गणना (79.03 वर्ग मीटर) प्रति वर्ग मीटर 1500 वाट लोड = 79.03×1.5/10 = 11.85 कि0वा0 20 प्रतिशत कामन फैसिलिटी = 2.37 कि0वा0 योग = 14.22 कि0वा0

डाईवर्सिटी फैक्टर = (328.25×0.5+14.22×0.75) = 164.12 +10.66 = 174.78 कि0वा0

कुल भार = 175कि0वा0 = 195 के0वी0ए0

= 10.25 Amp.(11 के0वी0 पर)

(संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता
33द्य11के0वी0उपकेन्द्र, खुशरुबाग (ओल्ड)
इलाहाबाद

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
वि0न0वि0 उपखण्ड–खुशरुबाग
इलाहाबाद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0
57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद

दूरभाष: 0532-2256014
फैक्स : 0532-2256417
ई–मेल : eudc_dgmalld@yahoo.com

पत्रांक 1902 विनविमं0–प्र0/अधी0अभि0/पी–2 दिनांक 27-5-15

विषयः– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अफोर्डेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

O.S./AAO/Cashier(W)/Cashier(R)/CA

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–कल्याणीदेवी,
इलाहाबाद।

Diary No. 312
Date 04-6-2015
Executive Engineer
E.U.D.D. Kalyani Devi Alld.

312 दि० 4.6.2015

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (वितरण) इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 2307/मु0अ0(वि0)इ0क्षे0/पी–2 (मानचित्र) दिनांक 23.05.2015 के द्वारा उपरोक्त उपभोक्ता का अनापत्ति पत्र दिये जाने से सम्बन्धित बिन्दुवार आख्या मांगी है, जिसकी प्रतिलिपि मूल रूप में मानचित्र सहित इस आशय से प्रेषित है कि उक्त स्थल का निरीक्षण कराकर मुख्य अभियन्ता (वितरण) इलाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद द्वारा अंकित की गयी बिन्दुवार आख्या देने की कृपा करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र की जा सके।

SDO (KB)
संलग्न मुख्य अभियन्ता के पत्र के अनुसार में बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत करें

संलग्नक – मूल रूप में मानचित्र सहित।

(शैलेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक विनविमं0–प्र0/अधी0अभि0/पी–2 दिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता वि0न0वि0खं0 नैनी, इलाहाबाद को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

Sri Santosh (JE)
Pl. Site Report for NOC.
SDO (KB)

Site Report

उपभोक्ता [illegible] ... संयोजन सं० - 130150/2267/25KW/LMV-I ... श्री [illegible] ... लूकरगंज ... 7/7 लूकरगंज ... संयोजन नहीं दिया गया है ... HT/LT कोई भी लाइन नहीं ... 11KV Line Lukerganj ... Feeder ... 16.06.15
JE (KB)

102
श्री/S

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता–विद्युत,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
UPPCL, 73 टैगोर टाउन,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 107/ इलाहाबाद(त0स0-2)लेआउट/G-14/1545 दिनांक : 8/05/2015

विषय :– प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अर्फोडेबुल) स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया। प्रस्तुत मानचित्र 45 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। मानचित्र में ब्लाक–ए में दर्शित 18 इकाई तथा ब्लाक–बी में 27 इकाईयो का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो विचाराधीन है। मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन के पूर्व विद्युत संयोजन एवं भार के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।

उक्त के कम में आवेदक द्वारा दाखिल Detail Electrical Plan/Building Plan की एक प्रति संलग्नं कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विद्युत संयोजन एवं भार के दृष्टिकोण से परीक्षण कराकर अनापत्ति/आपत्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करे।

S. E.
Dy. CAO
E.E. (Com)
E.E. (T)
E.E. (MC)
P.O.
S. Officer
O.S.
C.E.(D)
19/5/15

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

Sri P.K. Srivastava
19/05/2015

भवदीय
08/05/2015
(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)

(1111)

6384

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
73, टैगोर टाउन, इलाहाबाद–211003
ई–मेल :gmdallahabadpvvnl@gmail.com
CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांक 2307 /मु0अ0(वि0)इ0क्षे0/पी–2(मानचित्र)   दिनांक/मई , 23   2015

विशय :–   प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अफोडेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के संबंध में ।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–1
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
इलाहाबाद।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रभारी अधिकारी (त0स0–2), इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के पत्र सं0 107/प्र0अ0–(त0स0–2)/जोन–2/ग्रु0हा0/2014.15 दिनांक 8.5.2015 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके माध्यम से उनके द्वारा श्री संजीव कनौडिया, डायरेक्टर, के0एल0 सन्स द्वारा प्लाट नं0–7/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 2825.91 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (अफोड्रेबुल) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने हेतु इलेक्ट्रिकल प्लान प्रेषित किया गया है।

विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0 4151/मु0अ0(वितरण)/पी–2, दिनाक 03.09.2011 के अनुसार परीक्षण करायें एवं निम्न बिन्दुओं का समावेश कर मानचित्र पर अवर/सहायक/अधिशासी अभियन्ता समग्र रूप से दिनांक एवं नाम सहित अपना हस्ताक्षर करें । अग्रसारण पत्र में आपकी संस्तुति निहित हो जिससे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके :–

1. Calculation of electricity load as per U.P.Electricity supply Code 2005 (Annexure 4.6 Clause 4.9) भार की गणना के अनुसार स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय एव तदअनुसार आवश्यक भूमि भी अरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें ।
2. Provision of service line/Transformer and other apparatus as per load calculation and requirement of land and meter room as per provision of clause 4.28 of electricity supply code which states as under :-

General Provisions Regarding Service Line and Apparatus

(a) The consumer shall provide space of requisite dimensions and at convenient location as mutually agreed between the consumer and the Licensee, free of charge, for erection / installation of that part of service line that falls within his premises, transformers, switch gear, meter and all other apparatus up to the point of commencement of supply. The whole of service line and other apparatus shall be deemed to be the property of the Licensee and shall remain under his control.

(b) In all multi-storied buildings irrespective of the number of floors, service connections (whether through overhead wires or through under-ground cables) will be effected normally at the ground floor. Service connections will also be effected, at the request of the consumer, at the basement floor of the storied building, provided the place where the Licensee's meters, cut-outs etc., are installed has direct and independent access from outside is well ventilated, has sufficient headroom and the doors provided for the service room have adequate Fire Resistance Property and water proof and free from water logging.

(c) In multi storied building sufficient space at a suitable place shall be made available free of cost to the Licensee for installing transformers, switchgears etc., this is in addition to the space requirements stated below.

(d) <u>For multi-storied buildings having a total floor area of 900 square metres and</u> above, and multi-storeyed building i.e. Ground plus three floor including base floor for Low Tension Service Connection:

(i) an electrical room with RCC roof having clear floor area 6 metres x 4 metres with a vertical clearance of 2.75 metres with locking facility, exhaust fans and adequate size of cable duct, shall be provided at the ground floor

within the consumer premises of storied buildings nearer to the main entrance for installing floor mounted distribution transformer and associated switchgear or

(ii) **<u>A clear space of 10mx4m or 5mx5m open to the sky shall be provided within the consumer premises preferably at the main entrance for</u>** installing structure mounted distribution transformer and associated switchgears.

(iii) Space as per the norms to be specified by the Commission shall be allotted for establishment of a sub station / switching station in places of group housing / commercial complex where the total demand exceeds 3 MVA; or wherever 33/11 KV substation is required to be constructed. These areas shall be specifically shown in the plan.

(e) An approach road of not less than 3 metres width shall be provided from the public road to the electrical room/open space earmarked for installation of distribution transformer, associated switchgear, sub-station / switching station shall be provided by consumer at his own cost.

(f)The metering room provided by the consumer should have fire-fighting equipments of appropriate capacity and quality as per the requirement of safety regulations.

3- Provision of land/meter room in case any portion of building is constructed as per clause Annexure 4.6 note no. 5 which states as under :-

In case only a portion of building/colony is constructed as against the entire building colony sanctioned as per plan and as per sanction, the built up area of building/colony is more than 500 SQM. or requisitioned load is 25 Kw or more, then in such case space for transformer shall be given and power supply shall be arranged on LT basis by installing a transformer in his premises at applicant's cost and also an undertaking shall be obtained agreeing to convert to HT in future when the requisitioned load of the building/area exceeds 50 KW.

4. As per electricity rule 77,79,80 and 82 (Electricity rules 56),the clearances of different electric line and electrical installations must be maintained.Please check the site and confirm the status.

5 Ensure Checking of electricity dues and give detail of any permanent/temporary electric connection in the premises,.

उपरोक्त पाँचों बिन्दुओं पर टिप्पणी के अतिरिक्त मानचित्र/पत्र में उल्लेख किया जाये कि उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र संभावित विद्युत संयोजन देने हेतु ट्रॉसफारमर, लाईन एवं अन्य उपकरणों की स्थापना हेतु उचित स्थान के निर्धारण हेतु दी जा रही है, जिससे भवन निर्माण के बाद विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत नियामक आयोग के विभिन्न मानकों के अनुरूप संयोजन निर्गत हो सके। विद्युत संयोजन के लिये आवेदन प्राप्त होने पर पारेषण एवं वितरण स्कंध की तकनीकी संभावना रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यदि तकनीकी रूप से संभव होगा तभी विद्युत संयोजन निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी ।

<u>कृपया समस्त बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ (मानचित्र की दो प्रतियों के साथ) सूचना प्रेशित करें जिससे इस स्तर से इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जा सके ।</u>

संलग्नक:– यथा उपरोक्त मूलरूप में

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता (वितरण)

पत्रांक /मु0अ0(वि0)इ0क्षे0/पी–2(मानचित्र) दिनांक/मई 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खंड,, कल्याणीदेवी, इलाहाबाद।

2– अधिशासी अभियन्ता नगरीय परीक्षण खंड, प्रथम, इलाहाबाद।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता (वितरण)

सिंडिकेट बैंक-सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

खाता-इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(10)

जमा पर्ची

दिनांक 31/01/2015

बुक संख्या 13 क्रमांक

नाम श्री संजीव कनौडिया एवं श्री संदीप 1284 कनौडिया

पता डायरेक्टर K.L. सन्स

भवन/भूखण्ड संख्या प्लाट नं०-7/7 लूकरगंज (पूनम अपार्टमेन्ट) फेस-II इला० जमाकर्ता हेतु

(1)	परमिट फीस	रू0 5,000=00
(2)	विकास शुल्क	रू0
(3)	समझौता शुल्क (शमन मानचित्र)	रू0
(4)	जल मूल्य	रू0
(5)	मलवा चार्ज	रू0
(6)	पार्क चार्ज	रू0
(7)	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	रू0
(8)	विभाजन शुल्क (सब डिवीजन शुल्क)	रू0
(9)	अन्य शुल्क (विवरण)	रू0
	योग	Rs. 5,000=00

रूपया (शब्दों में) पाँच हजार मात्र

लिपिक

प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षर

सीड प्वाइंट

ह0 जमाकर्ता

AAKRITI
Architects & Engineers
Interior designer

K-1, Prayag kunj
3, Strachey Road, Civil lines
Allahabad, 211001
Phone : 2260373

OFFER FOR PROPOSED GROUP HOUSING AT LUKARGANJ ALLAHABAD.

OWNER: Mr. Sandeep kanodia
director of K.L. Sons Pvt. Ltd.

Dear Sir,

As per our discussion we are agreed to offer our consultancy for architectural

Services, structural, & site development to your incoming group housing project at lukarganj Allahabad .

for above services our professional charges will be Rs 11 (rupees eleven) per square feet

of covered (super) area including parking , cerculation area mumty & machine room

The above is initial offer, the detail terms and conditions and services will

provided letter on after finalization of working drawing.

Thanking you

Architect.

Anil Kumar Gupta